(12) - 5

283

प्रारूप - II

पत्र संख्या—11/आ० जा०—02/2024 सा०प्र० 12589
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना—15, दिनांक— 8.8.24

विषय :— खरवार जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खरवार जाति के विभिन्न संगठनों आदि के माध्यम से खरवार जनजाति की जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने में आ रही समस्या के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही है।

उक्त के आलोक में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या—673 दिनांक—08.03.2011 की कंडिका—9 में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में कतिपय अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ हीं खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण—पत्र निर्गत होने में उत्पन्न हो रही समस्या को देखते हुए विभागीय परिपत्र संख्या—1497 दिनांक—30.01.2018 द्वारा खरवार जाति के सदस्यों को जाति प्रमाण—पत्र निर्गत करने के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी, बिहार से अनुरोध किया गया है।

अतः पुनः अनुरोध है कि खरवार जाति के सदस्यों के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या—673 दिनांक—08.03.2011 की कंडिका—9 में अंकित प्रावधान के आलोक में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करने कृपा की जाय।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मो0 सिराजुद्दीन अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।

CamScanner